



बिहार विद्यालय परीक्षा समिति BIHAR SCHOOL EXAMINATION BOARD

आवेदक की न्यूनतम शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक अहर्ता:-

कक्षा I से V तक (पंचायत एवं प्रखण्ड शिक्षक /नगर शिक्षक के बेसिक ग्रेड) शिक्षक हेतु :

न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक (या इसके समकक्ष) एवं प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय प्रशिक्षण (जिस नाम से भी जाना जाता हो) में उत्तीर्ण अथवा अन्तिम वर्ष का उम्मीदवार हो

या

न्यूनतम 45 प्रतिशत अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक (या इसके समकक्ष) एवं प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय प्रशिक्षण (जिस नाम से भी जाना जाता हो), जो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (मान्यता, मानक और क्रियाविधि) विनियम, 2002 के अनुसार प्राप्त किया गया हो

या

न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक (या इसके समकक्ष) एवं 4 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र (बी.एल.एड.) में उत्तीर्ण अथवा अन्तिम वर्ष का उम्मीदवार हो

या

न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक (या इसके समकक्ष) एवं शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय प्रशिक्षण (विशेष शिक्षा) में उत्तीर्ण अथवा अन्तिम वर्ष का उम्मीदवार हो

और

केन्द्र अथवा बिहार राज्य सरकार द्वारा आयोजित 'शिक्षक पात्रता परीक्षा' (टी.ई.टी.) में उत्तीर्ण।

कक्षा VI से VIII तक (प्रखण्ड शिक्षक के स्नातक ग्रेड) शिक्षक हेतु:

बी.ए./बी.एस.सी. और प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में दो वर्षीय प्रशिक्षण (जिस नाम से भी जाना जाता हो) में उत्तीर्ण अथवा अन्तिम वर्ष का उम्मीदवार हो

या

न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातक शिक्षा एवं शिक्षा शास्त्र में एकवर्षीय स्नातक (बी. एड.) में उत्तीर्ण अथवा अन्तिम वर्ष का उम्मीदवार हो

या

न्यूनतम 45 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातक शिक्षा एवं शिक्षा शास्त्र में एकवर्षीय स्नातक (बी. एड.) जो इस संबंध में समय- समय पर जारी राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (मान्यता, मानक और क्रियाविधि) विनियम 2002 के अनुसार प्राप्त किया गया हो

या

न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक (या इसके समकक्ष) एवं 4 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में स्नातक (बी.एल.एड.) में उत्तीर्ण अथवा अन्तिम वर्ष का उम्मीदवार हो

या

न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक (या इसके समकक्ष) एवं 4 वर्षीय बी.ए./बी.एस.सी. एड या बी.ए.एड./बी.एससी.एड. में उत्तीर्ण अथवा अन्तिम वर्ष का उम्मीदवार हो

या

न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातक शिक्षा प्राप्त एवं एक वर्षीय बी. एड. (विशेष शिक्षा) और केन्द्र अथवा बिहार राज्य सरकार द्वारा आयोजित 'शिक्षक पात्रता परीक्षा' (टी.ई.टी.) में उत्तीर्ण।

केवल केन्द्र या किसी राज्य सरकार द्वारा अथवा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (NCTE) द्वारा मान्यता प्राप्त अध्यापक शिक्षा शास्त्र में डिप्लोमा/डिग्री पाठ्यक्रम मान्य होगा। शिक्षा शास्त्र में डिप्लोमा (विशेष शिक्षा) और बी.एड. (विशेष शिक्षा) के लिए केवल भारतीय पुर्नवास परिषद् (आरसीआई) द्वारा मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रम मान्य होगा।

समकक्ष तकनीकी शिक्षा की डिग्री (पॉलिटेकनिक, यूनानी शिक्षा आदि) तथा प्राच्य भाषा विशेष से संबंधित डिग्री (मौलवी, उप शास्त्री) सामान्य शिक्षक पद पर नियोजन हेतु मान्य नहीं है। शिक्षा विभाग द्वारा निर्गत अधिसूचना अथवा आदेश के आलोक में किसी सोसाइटी अथवा ट्रस्ट के द्वारा स्थापित स्वैच्छिक संस्थानों द्वारा प्रदत्त भाषा विशेष की उपाधि/डिग्री भी शिक्षक पद पर नियोजन हेतु मान्य नहीं है। शिक्षक पद पर नियोजन हेतु किसी प्रमाण पत्र अथवा डिग्री की समकक्षता प्रदान करने की कार्रवाई शिक्षा विभाग के द्वारा किया जा सकेगा।

बिहार पंचायत प्रारम्भिक शिक्षक (नियोजन एवं सेवा शर्त) नियमावली 2012 एवं बिहार नगर प्रारम्भिक शिक्षक (नियोजन एवं सेवा शर्त) नियमावली 2012 एवं संशोधित नियमावली 2014 के आलोक में निम्न बिन्दु प्रावधानित हैं:-

1. प्राथमिक एवं मध्य विद्यालय के उर्दू भाषा के लिए प्रथम पत्र में बिहार मद्रसा बोर्ड द्वारा प्रदत्त मौलवी अथवा इन्टरमीडिएट में न्यूनतम 50 अंकों का उर्दू विषय में उत्तीर्णता एवं द्वितीय पत्र में आलिम अथवा स्नातक स्तर पर न्यूनतम 50 अंकों का उर्दू विषय की परीक्षा में उत्तीर्णता आवश्यक है। बिहार पंचायत प्रारंभिक शिक्षक (नियोजन एवं सेवा शर्त)- 2012 एवं बिहार नगर प्रारंभिक शिक्षक (नियोजन एवं सेवा शर्त) नियमावली- 2012 के नियम 05 में निर्धारित शिक्षक प्रशिक्षण योग्यताधारी अभ्यर्थी शामिल होने के पात्र होंगे।
2. संस्कृत शिक्षकों के पदों पर कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त उप शास्त्री /शास्त्री अथवा किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड/ विश्वविद्यालय से संस्कृत में स्नातक की योग्यता एवं बिहार पंचायत प्रारंभिक शिक्षक (नियोजन एवं सेवा शर्त)- 2012 एवं बिहार नगर प्रारंभिक शिक्षक (नियोजन एवं सेवा शर्त) नियमावली- 2012 के नियम 05 में निर्धारित शिक्षक प्रशिक्षण योग्यताधारी अभ्यर्थी शामिल होने के पात्र होंगे।
3. बंगला भाषा में इन्टर स्तर की योग्यता अथवा किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड/ विश्वविद्यालय से बंगला में स्नातक की योग्यता एवं बिहार पंचायत प्रारंभिक शिक्षक (नियोजन एवं सेवा शर्त)- 2012 एवं बिहार नगर प्रारंभिक शिक्षक (नियोजन एवं सेवा शर्त) नियमावली- 2012 के नियम 05 में निर्धारित शिक्षक प्रशिक्षण योग्यताधारी अभ्यर्थी शामिल होने के पात्र होंगे।

विशेष निर्देश:

1. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/विशेष रूप से विकलांग/महिला जैसी आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों को पात्रता हेतु न्यूनतम शैक्षिक अर्हता में 5 प्रतिशत अंकों की छूट की अनुमति होगी।
2. शिक्षक शिक्षा में डिप्लोमा/डिग्री कोर्स: इस अधिसूचना के उद्देश्यों के लिए केवल राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (एनसीटीई) द्वारा मान्यता प्राप्त शिक्षक शिक्षा में डिप्लोमा/डिग्री कोर्स पर विचार होगा। तथापि, शिक्षा में डिप्लोमा (विशेष शिक्षा) और बीएड (विशेष शिक्षा) की स्थिति में केवल भारतीय पुनर्वास परिषद् (रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया) (आरसीई) द्वारा मान्यता प्राप्त कोर्स पर ही विचार होगा।
3. ऐसे अभ्यर्थी जो शिक्षा में स्नातक डिग्री अथवा प्रारंभिक शिक्षा में डिप्लोमा के अंतिम वर्ष में शामिल हो रहे हैं को अन्तिम रूप से प्रवेश दिया जाता है और उनका टीईटी रिजल्ट कार्ड उक्त परीक्षाओं के उत्तीर्ण करने पर ही वैध होगा।
4. मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय /संस्थान से उत्तीर्ण बी0सी0ए0 के छात्र गणित/ विषय गुप के अन्तर्गत पात्रता परीक्षा देने के पात्र होंगे।
5. पूर्व के नियोजित शिक्षक जो प्रशिक्षित हों तथा पात्रता परीक्षा में सम्मिलित होना चाहते हों तो वे अपने नियोक्ता के माध्यम से आवेदन दे सकेंगे।
6. ऐसे अभ्यर्थी जिनके पास उपर्युक्त योग्यता नहीं होगी वे बिहार प्रारम्भिक शिक्षक (प्रशिक्षित) पात्रता परीक्षा-2017 में शामिल होने के लिए पात्र नहीं होंगे।
7. इस परीक्षा हेतु शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशक, संगीत एवं ललित कला निदेशक तथा कार्य अनुदेशक से संबंधित अर्हताधारी अभ्यर्थी इस परीक्षा हेतु आवेदन के पात्र नहीं होंगे।
8. शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशक, संगीत एवं ललित कला तथा कार्य अनुदेशक से संबंधित अर्हताधारी अभ्यर्थी इस परीक्षा हेतु आवेदन नहीं देंगे।

उम्मीदवार आवेदन करने से पहले अपनी योग्यता से पूर्णतः संतुष्ट हो लें और यदि वे निर्धारित योग्यता/मापदण्ड के अनुसार आवेदन के लिए योग्य नहीं हैं तो इसका व्यक्तिगत जिम्मेदार स्वयं होगा। उल्लेखनीय है कि यदि किसी उम्मीदवार को बिहार प्रारम्भिक शिक्षक (प्रशिक्षित) पात्रता परीक्षा-2017 में बैठने की अनुमति दे दी गई है तो इसका यह अर्थ नहीं लिया जाए कि उम्मीदवार की पात्रता प्रमाणित हो गई है। इससे उम्मीदवार को नियुक्ति के लिए कोई अधिकार नहीं मिलता है। पात्रता संबंधित भर्ती एजेन्सी/नियोजन प्राधिकार द्वारा अंतिम रूप से समर्पित की जाएगी।

आयु सीमा: "बिहार प्रारम्भिक शिक्षक (प्रशिक्षित) पात्रता परीक्षा-2017" में सम्मिलित होने हेतु दिनांक- 01.08.2017 को प्रथम पत्र में न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष एवं द्वितीय पत्र में न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए। अधिकतम आयु सीमा निम्नवत् होगी:-

कोटि	उम्र	कोटि	उम्र
सामान्य पुरुष	35 वर्ष	अति पिछड़ा वर्ग/ पुरुष /महिला	38 वर्ष
सामान्य महिला	38 वर्ष	अनुसूचित जाति/ पुरुष /महिला	40 वर्ष
पिछड़ा वर्ग पुरुष /महिला	38 वर्ष	अनुसूचित जनजाति/ पुरुष /महिला	40 वर्ष

राज्य सरकार द्वारा निर्धारित कोटिवार अधिकतम आयु सीमा के अन्तर्गत ही नियोजन करने का प्रावधान है। अधिकतम आयु सीमा के उपरान्त यह पात्रता मापदण्ड (सरकारी विद्यालयों में नियोजन हेतु) स्वतः समाप्त हो जाएगा।

महत्वपूर्ण तिथियाँ

क्रम संख्या	गतिविधि	गतिविधि की अंतिम तिथि
1	ऑनलाइन पंजीकरण प्रारम्भ	06/04/2017
2	आवेदन जमा करने एवं ई चालान निकालने की अंतिम तिथि	25/04/2017
3	SBI Branch (ई - चालान) द्वारा शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि	27/04/2017
4	ऑनलाइन आवेदन पत्र में संशोधन की तिथि	28/04/2017
5	परीक्षा प्रवेश पत्र ऑनलाइन अपलोड की तिथि	शीघ्र जारी होगा
6	परीक्षा तिथि	11/06/2017

शुल्क संरचना पृष्ठ

परीक्षा का नाम	वर्ग	पेपर - 1	पेपर - 2	दोनों पेपरों के लिए
बिहार प्रारम्भिक (प्रशिक्षित) शिक्षक पात्रता परीक्षा-2017	सामान्य/पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा	400 /-	400 /-	600 /-
	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति / निःशक्त	200 /-	200 /-	300 /-

नोट: सेवा शुल्क एवं सेवा कर (जैसे भी लागू हो) बैंक द्वारा अलग से चार्ज किये जायेंगे।

बिहार विद्यालय परीक्षा समिति सदैव अध्यापकों को बेहतर सुविधाएं देने के लिए कटिबद्ध है।

हेल्पलाइन फोन नंबर

+91- 7835049876

+91- 7835049880

+91- 7835049877

+91- 7835049879

Email: tet.bseb@gmail.com